वादी/अपीलाण्ट को कोई सूचना दिये बगैर वादी/अपीलाण्ट की खातेदारी के हाल खसरा नम्बर 2237/0.42 ऐयर से 5 ऐयर रकवा कम कर बलवीर सिंह प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 02 के खाते में खसरा नम्बर 895 रकवा 11 ऐयर जोडकर खसरा नम्बर 895 को 16 ऐयर दर्ज कर दिया जो कतई गलत है और इस कार्यवाही से वादी/अपीलाण्ट का रकवा 1.37 है0 के स्थान पर 1.27 ऐयर दर्ज रह गया है, जिसको वादी/अपीलाण्ट दुरूस्ती कराने योग्य है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद राजस्व लोक अदालत में पक्षकारो को बिना सूचना दिये, रखकर अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् वहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी वहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, वहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 05.06.2017 नियत थी एवं प्रार्थना पत्र धारा 151 पर कार्यवाही होनी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को विना अपीलाण्ट को कोई सूचना दिये राजस्व लोक अदालत में रखकर पूर्व नियत पेशी दिनांक 05.06.2017 से पूर्व ही दिनांक 17.05.2017 को निर्णित कर दिया। जवकि राजस्व लोक अदालत में वह ही प्रकरण निर्णित किये जा सकते हैं जिन प्रकरणो में दोनों पक्षो के मध्य विवाद को लेकर समझौता अथवा राजीनामा हो गया हो। प्रस्तुत प्रकरण में कोई राजीनामा अथवा समझौता नहीं हुआ था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के गैर मौजूदगी में प्रकरण का निस्तारण करने में भारी कानूनी भूल की है। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जा चुकी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में किसी भी तनकी का विवेचन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में मात्र यह अंकित किया है कि हाल खसरा नम्बर 895 में रकवा पूर्ति उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 05.03.2001 से हाल खसरा नम्बर 2727/0.42 मे से 0.05 है0 रकवा कम कर प्रतिवादी संख्या 02 के हाल खसरा नम्बर 895 का रकवा 0.16 है0 घोषित किया है। यदि वादी उक्त आदेश से व्यथित थे तो उसे सक्षम न्यायालय में उक्त आदेश के विरूद्ध चाराजोही करनी चाहिये थी। जबकि आदेश दिनांक 05.03.2001 पूर्व में ही माननीय संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा खारिज हो चुका है एवं पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं थी जिससे यह साबित होता हो कि वादी ने पूर्व में दावा दायर किया था और जो खारिज हो चुका हो। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह अंकित करना कि दावा वादी पूर्व में भी खारिज हो चुका है, किस आधार पर लिखा गया है। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी वहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। वादी/अपीलाण्ट का पूर्व में दावा खारिज हो चुका था। अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पक्षकारो की उपस्थिति में पारित हुआ अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही दावा वादी/अपीलाण्ट खारिज

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज0)

किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में पेशी दिनांक 27.04.2017 को अग्रिम पेशी दिनांक 05.06.2017 नियत की गयी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व निर्धारित पेशी दिनांक 05.06.2017 से पूर्व ही दिनांक 17.05.2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अन्तिम तौर पर निस्तारित कर दिया। उक्त आदेशिका दिनांक 17.05.2017 में, पक्षकारो की उपस्थिति का कोई उल्लेख नहीं है एवं ना ही आदेशिका पर ही पक्षकारो की उपस्थिति के हस्ताक्षर उपलब्ध हैं। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखने बाबत् सूचना देने वाला कोई तामील शुदा सम्मन/नोटिस उपलब्ध नहीं है। जिससे स्पष्ट साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत की हडबडी में बिना न्यायिक प्रक्रिया पालन किये जल्दबाजी में पारित किया है। जिसका किसी प्रकार समर्थन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 04.09.2012 को कुल 6 विवाद्यक कायम किये गये थे। परन्तु अपीलाधीन आदेश में किसी भी तनकी का निस्तारण नहीं किया गया है। जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 20 नियम 05 अनुसार किसी प्रकरण में तनकीयात कायम होने पर, उसका निस्तारण तनकीवार किया जाना आज्ञापक है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2017 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री परशुराम धानका (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 94/21 (223 आर0टी0एक्ट0)
जीसीएमएस संख्या :– 2021/197

उनवान

1. सदानन्द पुत्र पीतम्बर
2. दीनाराम(मृतक)
   - 2/1. सुनील कुमार पुत्र दीनाराम
   - 2/2. अनिल कुमार पुत्र दीनाराम
   - 2/3. जितेन्द्र गौतम पुत्र दीनाराम
   - 2/4. प्रीति कुमारी पुत्री दीनाराम
   - 2/5. पुष्पा देवी विधवा दीनाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र पीतम्बर

जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम जाटौली रथभान तहसील व जिला भरतपुर(राज0)

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर।
2. बलवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री महाराज सिंह जाति जाट निवासी जाटोली रथभान तहसील व जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.05.2017 प्रकरण संख्या 77/2010 उनवान सदानन्द बनाम सरकार, न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर।

अभिभाषकगण :–

1. श्री भूपत कुमार जैन अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–11.01.2023

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय दिनांक 17.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर कुल किता 6 रकवा 08 बीघा 12 विस्वा वाके ग्राम जाटौली रथभान के वादी/अपीलाण्ट के पिता स्व0 श्री पीताम्बर पुत्र श्री मूली खातेदार काश्तकार थे उनके स्वर्गवास के बाद वादी/अपीलाण्ट उक्त खसरा नम्बरान पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हो गये। उक्त खसरा नम्बरान की डौल–मेड साविक बन्दोबस्त अनुसार सही तरीके से बनी हुयी है जैसे पहले थी वैसे ही आज मौके पर बनी हुयी है एवं रकवा मौके पर पूरा है। परन्तु बन्दोबस्त विभाग ने उक्त खसरा नम्बरान के नये नम्बर किता 9 रकवा 1.32 है0 कायम किये गये हैं वह साविक के मुकाबले गलत किये हैं। नवीन माप अनुसार कुल क्षेत्रफल 1.37 है0 बनता है। राजस्व अधिकारियों ने एक सरसरी कार्यवाही 136 भू राज0 अधिनियम में

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज0)